



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ 1939 (श0)

(सं0 पटना 643) पटना, बुधवार, 19 जुलाई 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

19 जुलाई 2017

एस०ओ० 121, दिनांक 19 जुलाई 2017—बिहार गजट (असाधारण अंक) में प्रकाशित एस०ओ० 67, दिनांक 29 जून, 2017 वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2017 राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 में,—

- (i) क्रम संख्या 45 के स्तम्भ (3) में शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं के स्थान पर "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]" पढ़ें ;
- (ii) क्रम संख्या 148 के स्तम्भ (3) के खंड (vi) में "[प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य]" का लोप करें।

2. यह शुद्धि-पत्र दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध/10/2017-21)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

19 जुलाई 2017

एस०ओ० 122, एस०ओ० 121, दिनांक 19 जुलाई 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध/10/2017-21)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 19<sup>th</sup> July 2017*

S.O. 121, dated the 19<sup>th</sup> July 2017—In notification number 2/2017 State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, of the Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, vide S.O. 67, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017,-

(i) in column (3) of Serial Number 45, for “Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split”, read “Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]”;

(ii) in clause (vi) in column (3) of Serial Number 148, omit “[proposed GST Nil]”.

2. This corrigendum shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-10/2017—21)]

By the order of Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 643-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>